

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §
वृहस्पतिवार, 26 अगस्त, 1999 / भाद्रपद 04, 1921 §शक§

संख्या : 49

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित एम. एच.ओ. गोकल पुरी, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 25.08.1999 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह बिष्ट को उनके अन्य समर्थकों सहित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा-65 के अन्तर्गत भजन पुरा चौक, दिल्ली से पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिनांक 24.08.1999 को पूर्वाह्न 10.15 बजे नज़रबंद किया गया।

उन्हें उनके समर्थकों सहित पुलिस थाना गोकल पुरी, दिल्ली से उसी दिन अर्थात् दिनांक 24.08.99 को अपराह्न 2.00 बजे रिहा कर दिया गया।"

एम. के. शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Thursday, August 26, 1999/Bhadrapad 04, 1921 (Saka)

No.49

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from S.H.O., Gokal puri, Delhi on 25-08-1999 :-

"I have the honour to inform you that Shri Mohan Singh Bisht, Hon'ble member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of the police at Bhajan Pura Chowk, Delhi on 24.08.1999 at 10.15 A.M.

He was released alongwith his supporters at 2.00 P.M. from Police Station Gokal Puri, Delhi, on the same day i.e. 24-08-1999."

S.K. SHARMA
SECRETARY